24

अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की प्रक्रिया और पद्धति पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अतः, पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

संरचना

अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति में 30 सदस्य होते हैं जिनमें से बीस सदस्य लोक सभा से और दस सदस्य राज्य सभा के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इस निर्वाचन प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक दल/ग्रुप को दोनों सदनों में उसकी सदस्य संख्या के अनुपात में समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

निर्वाचन प्रक्रिया

2. संसदीय कार्य मंत्री अथवा समिति के सभापति, यदि पदासीन हों, द्वारा लोक सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सभा के सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें। प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् नामांकन पत्र भरने/नाम वापस लेने और निर्वाचन, यदि आवश्यक हो, की तिथियां निर्धारित करने संबंधी एक कार्यक्रम लोक सभा

1

समाचार भाग-दो में अधिसूचित किया जाता है। नामांकन-पत्र प्राप्त होने के बाद नामांकन पत्र भरने वाले व्यक्तियों की सूची सूचना-पट्ट पर लगायी जाती है। यदि नाम वापस लेने की निर्धारित तिथि के बाद नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हो तो नामनिर्दिष्ट सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया जाता है और परिणाम समाचार भाग-दो में प्रकाशित किया जाता है। यदि नाम वापस लेने के बाद नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो निर्धारित तिथि को निर्वाचन किया जाता है और इस निर्वाचन का परिणाम समाचार भाग-दो में प्रकाशित किया जाता है।

राज्य सभा के सदस्यों को सहयोजित करना

3. लोक सभा में एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसमें राज्य सभा से सिफारिश की जाती है कि वह समिति में सहयोजित किये जाने के लिए अपने 10 सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करे। लोक सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव के स्वीकृत होने के पश्चात् उसे एक संदेश के माध्यम से राज्य सभा को भेज दिया जाता है। राज्य सभा अपने सदस्यों में से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के पश्चात् उनके नामों की सूचना लोक सभा को भेजती है।

2

सभापति की नियुक्ति

4. समिति का/की सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के लिए निर्वाचित किए गए सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है/की जाती है।

मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता

5. कोई भी मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता नहीं रखता है और समिति का कोई भी सदस्य मंत्री नियुक्त किए जाने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहता है।

कार्यकाल

6. समिति के सदस्य समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पदभार धारण करेंगे। तत्पश्चात्, समिति का एक बार में एक वर्ष के लिए पुनर्गठन किया जाता है।

समिति के कृत्य

7. (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों सहित केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में दोनों सभाओं को सूचित करना;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर केन्द्र सरकार द्वारा तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में दोनों सभाओं को सूचित करना;

(तीन) संविधान के उपबंधों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों विशेष रूप से अति पिछड़े वर्गों को, सेवाओं तथा इसके नियंत्रणाधीन आने वाले पदों (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक तथा अर्ध सरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में नियुक्तियों सहित) में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना;

(चार) संघ राज्यक्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यकरण के संबंध में दोनों सभाओं को सूचित करना;

(पांच) संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों सहित केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित सभी मामलों पर सामान्य रूप से विचार करना तथा दोनों सभाओं को सूचित करना; और

(छह) ऐसे मामलों की जांच करना जिनकी जांच करना समिति उचित समझती हो अथवा जो सभा या अध्यक्ष द्वारा उसे विशिष्ट रूप से सौंपे गए हों।

4

अत: समिति को भारत सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन आने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों की जांच के अधिदेश प्राप्त हैं। समिति मंत्रालयों/विभागों के दैनिक प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करती है। समिति सामान्यत: उन मामलों पर भी विचार नहीं करती है जिनकी जांच अन्य संसदीय समितियों द्वारा की जाती है।

जांच के लिए विषयों का चयन

8. समिति अपने गठन के तुरंत बाद अन्य पिछड़े वर्गों विशेष रूप से अति पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित और केन्द्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन आने वाली सेवाओं और पदों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक और अर्ध-शासकीय निकायों में और संघ राज्यक्षेत्रों में की जाने वाली नियुक्तियों सहित) में अन्य पिछड़े वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों सहित ऐसे विषयों का चयन करती है जिनकी जांच करना वह उचित समझती है। समिति अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित विशेष हित के मामलों जो इसके कार्यकरण के दौरान उत्पन्न हों या प्रकाश में आएं अथवा जो सभा या अध्यक्ष द्वारा इसे विशिष्ट रूप से सौंपे जाएं, की भी जांच करती है।

सरकार से जानकारी मंगवाना

9. सर्वप्रथम, समिति जांचाधीन विषयों से संबंधित केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को उस द्वारा भेजी गई प्रश्नसूचियों

के आधार पर उनसे प्रारंभिक सामग्री मंगवाती है। सामग्री का अध्ययन करने के बाद, यदि आवश्यक समझा जाए तो उनके पास लिखित उत्तरों हेतु एक और प्रश्नसूची भेजी जाती है।

सरकारी/गैर-सरकारी साक्षियों का साक्ष्य

10. समिति जांचाधीन विषयों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों और केन्द्र सरकार के उपक्रमों इत्यादि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेती है। समिति उन गैर-सरकारी साक्षियों का भी साक्ष्य ले सकती है, जिनका साक्ष्य समिति द्वारा की जाने वाली जांच में सहायक माना जाए। कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा जाता है।

समिति के समक्ष मंत्रियों को नहीं बुलाया जाना

11. मंत्री को न तो समिति के समक्ष साक्ष्य देने और न ही समिति द्वारा परामर्श देने के लिए बुलाया जाता है।

अध्ययन दौरे

12. समिति जांचाधीन विषयों का तत्स्थानिक अध्ययन करने और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अन्य समस्याओं का भी अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के अध्ययन दौरे भी करती है। दौरों के दौरान हुई चर्चाओं का स्वरूप अनौपचारिक होता है और इनका प्रयोजन समिति द्वारा जांच किए जाने वाले

विषयों के संबंध में जानकारी जुटाना होता है। दौरों के दौरान समिति अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संगठनों और संघों के प्रतिनिधियों से भी मिलती है तथा उनसे उनकी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन और अभ्यावेदन प्राप्त करती है। दौरे के दौरान हुई चर्चाओं का संक्षिप्त रिकॉर्ड रखा जाता है और विस्तृत दौरा रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिनको सभापति/संयोजक से अनुमोदित कराया जाता है।

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

13. किसी विषय पर समिति के निष्कर्ष उसके प्रतिवेदन में समाविष्ट किए जाते हैं, जिसको समिति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद लोक सभा को प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सभा के पटल पर भी रखी जाती है। प्रतिवेदन के साथ समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश क्रमशः लोक सभा में प्रस्तुत किए/राज्य सभा के सभा पटल पर रखे जाते हैं।

समिति के प्रतिवेदन सदस्यों की सर्वसम्मति से स्वीकार किए जाते हैं। तद्नुसार, प्रतिवेदन में विमत टिप्पण का कार्यवाही सारांश संलग्न किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन

14. लोक सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद इसकी प्रतियां संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग को भेजी जाती हैं, जिन्हें

प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों और निष्कर्षों पर कार्यवाही करनी होती है और तीन माह के अंदर उन पर की–गई–कार्यवाही उत्तर भेजने होते हैं।

मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की–गई–कार्यवाही उत्तरों की समिति द्वारा जांच की जाती है और तत्पश्चात् समिति के की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन सामान्यत: लोक सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्य सभा के पटल पर रखे जाते हैं।

की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदनों पर की–गई–कार्यवाही विवरण

15. की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार से प्राप्त उत्तर भी विवरणों के रूप में लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखे जाते हैं।

शिकायतों/अभ्यावेदनों का निपटान

16. समिति को अन्य पिछड़ी जाति के लोगों और विभिन्न अ.पि.व. कर्मचारी कल्याण संघों से भी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं जिनमें उनके कल्याण से जुड़े मामलों के बारे में उनकी शिकायतों को व्यक्त किया जाता है। सचिवालय में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों की जांच की जाती है और न्यायोचित माने गए मामलों को समाधान अथवा टिप्पणी हेतु संघ/राज्य सरकार के प्राधिकारियों के पास भेजा जाता है।

[अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का गठन और उसका कार्यकरण लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 253 से 286 और लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 48 से 73 से शासित होते हैं।]

9